81

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी क्रमांक R-2961/I/16– विरूद्व – आदेश दिनांक 16 जून 2016 – पारित द्वारा– अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 824/ अ–6/ 2012–2013 अपील

1. श्रीमति वंदना यादव पत्नि रमाकांत यादव
2. नीलमणि पत्नि अशोक यादव
   निवासी परकोटा वार्ड सागर
   तह. व जिला सागर मध्यप्रदेश .....आवेदकगण

विरूद्व

देवेन्द्र कुमार तनय कोमलचंद जैन
निवासी झंडा चौक खुरई तह. खुरई
जिला सागर मध्यप्रदेश .....अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.एस.निगम)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री नितेन्द्र सिंधई)

आ दे श

(आज दिनांक 8-9-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 824/अ–6/12–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 16 जून 2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत केम्प सागर में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारंश यह है कि ग्राम खुरई प.ह.न. 50 खसरा क्रमांक 343/1ख, 343/1ग कुल रकवा 1.813 हे. स्थित प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक द्वारा पंजीकृत

R-2961/I/16

विक्रय विलेख दिनांक 23–8–79 के माध्यम से आवेदकगण की मां श्रीमति गायत्रीबाई वेवा दीनदयाल एंव जमनाप्रसाद तनय प्यारेलाल से क्रय की गयी तथा जिसके आधार पर दिनांक 22–4–1980 को संशोधन पंजी क्र 72 पर अनावेदक का नामांतरण स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा करीब 32 वर्ष की अवधि पश्चात् अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर निरस्त देने के कारण आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायलय के आदेश एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण अभिभाषक के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि प्रश्नाधीन भूमि जमनाप्रसाद तनय प्यारेलाल एंव मुन्नालाल तनय प्यारेलाल के नाम पर दर्ज भूमि थी तथा मुन्नालाल का दिनांक 1–3–1966 एंव उसके पुत्र दीनदयाल का दिनांक 18–4–1973 को स्वर्गवास हो गया था परंतु राजस्व अभिलेख में उनकी फौती दर्ज किए बिना दिनांक 23–8–79 को भूमि का विक्रय किए जाने के उपरांत संशोधन पंजी क्रमांक 72 पर उनकी फौती दर्ज की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फौती नामांतरण एंव विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण एक ही संशोधन पंजी पर किया गया है तथा उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष विधिवत् रूप से कारण सहित विलंब का आवेदन पत्र व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अवैघानिक बताते हुए निगरानी को स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्को के दौरान व्यक्त किया कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण की मॉ श्रीमति गायत्री एंव जमनाप्रसाद से पूर्ण प्रतिफल अदा कर पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम क्रय कर मालकाना हक व कब्जा प्राप्त किया गया था। तथा विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता की पूर्ण सहमति के आधार पर संशोधन पंजी क्रमांक 72 में पारित आदेश दिनांक 22–4–1980 के द्वारा अनावेदक का

नामांतरण स्वीकृत किया गया था। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1979 मे विक्रय पत्र निष्पादन के समय राजस्व अभिलेख अर्थात् खसरा खतौनी की प्रतियां विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं था। अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक से लगातार काबिज चला रहा है इस कारण से आवेदकगण को आदेश की प्रांरभ से ही पूर्ण जानकारी प्राप्त थी इसके उपरांत भी उनके द्वारा 32 वर्ष पश्चात् अनावेदक को परेशान करने की नियत से अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। उनका यह भी तर्क है आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है इस कारण से उसके पक्ष में किया गया नामांतरण आदेश पूर्ण रूप से वैधानिक है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह भी व्यक्त किया गया कि अपर आयुक्त सागर संभाग सागर एंव अनुविभागीय अधिकारी खुरई तथा संशोधन पंजी क्रमांक 72 पर पारित आदेश समवर्ती आदेश है जिसके आधार पर उनके द्वारा निगरानी अग्राह्य कर निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एंव दस्तावेजों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23–8–79 के माध्यम से आवेदकगण की मॉ श्रीमति गायत्री वेवा दीनदयाल एंव जमनाप्रसाद तनय प्यारेलाल से निर्धारित प्रतिफल अदा कर क्रय की गयी थी एंव विक्रय पत्र पर इस बात का पूर्ण उल्लेख किया गया था कि मुन्नालाल एंव दीनदयाल की मृत्यु हो चुकी है। तथा उक्त आधार पर संशोधन पंजी क्रमांक 72 में पारित आदेश दिनांक 22–4–1980 के माध्यम से अनावेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण स्वीकृत किया गया था जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर के समक्ष दिनांक 19–10–12 को प्रस्तुत की गयी जो कि करीब 32 वर्ष की अत्याधिक लंबी समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा अपील को अवधि बाह्य मान्य कर निरस्त किया गया है जिसके विरूद्व आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जिसे भी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा निरस्त किया गया है। प्रकरण में अनावेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण

R-2961/I/16

स्वीकृत किया गया है तथा राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र की वैघता की जांच किए जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, नामांतरण राजस्व अभिलेख को दुरूस्त रखने की एक प्रक्रिया है इस कारण से पंजीकृत विक्रय पत्र जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता तब तक नामांतरण कर राजस्व अभिलेख को दुरूस्त रखना आवश्यक है जैसा कि 1984 आर.एन. पेज 5 एंव 2011 आर.एन. पेज 193 में मान्य किया गया है। आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथा इस न्यायालय के समक्ष भी 32 वर्ष से अधिक अत्याधिक लंबी के विलंब के संबंध में कोई ठोस, पर्याप्त एंव समाधानकारक प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के संबंध में स्पष्ट है कि प्रत्येक दिवस के विलंब का पर्याप्त एंव समाधानकारक कारण स्पष्ट करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने के कारण वह हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 824/अ-6/2012-213 में पारित आदेश दिनांक 16-6-2016 यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल ग्वालियर

मध्यप्रदेश ग्वालियर